## कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा । 14न मधुरा, दिनांक 12/07/ .2022. पत्रांक 153

सेवा में

वरिष्ठ महाप्रबन्धक.

अलवर-राजस्थान ।

पावर ग्रिड अलीगढ़-सींकर ट्रान्समिशन लिमिटेड,

विषय :--

जनपद मथुरा में सीकर-II अलीगढ़ ट्रॉसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर-राजस्थान के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-11 अलीगढ़ ट्रॉसमिशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-49 की दाँयी व बाँयी दोनों पटरियों की

सन्दर्भ :--

0.5293 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में । 1-सचिव, उ०प्र0शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, लखनऊ की पंत्र संख्या-168

/81-2-2022-800(176)/2022, दिनांक 24.06.2022 2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-11सी 3744-FP/UP/Trans/146255/2021, दिनांक 30.06.2022

महोदय.

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के कम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या छः-छः प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित करने करने का कष्ट करें ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा सके ।

1- बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में Legal status of the Forest land shall remain unchang	
	वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
2-	बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण तथा उसके 10 वर्षों के अनुरक्षण हेतु मु0-4,62,740/- रू0 की धनराशि
	की चालान जनरेट कर कैम्मा निधि में जमा कर उसका ई-चालान की रसीद इस कार्यालय में प्रमाणित करते हुए छः प्रतियों
	में उपलब्ध करायी जाय ।
3-	बिन्दु संख्या–3 के अनुपालन में विद्युत लाईन के नीचे रिक्त स्थान पर रोपण तथा उसके 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु
	मु0-5,60,560/- रू0 की धनराशि का चालान जनरेट कर कैम्पा निधि में जमा कराकर उसका ई-चालान की रसीद छः
	प्रतियों में इस कार्यालय में प्रमाणित करते हुए उपलब्ध करायी जाय ।
4-	बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of
	prescribed certiticate from the concerned District Collector. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध
	कराया जाये ।
5-	बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be
	fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits. से सम्बन्धित
	वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
6-	बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में The User Agency shall comply with the guidelines for laying
	transmission lines through foest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated
	05.05.2014 & 19.11.2014. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
7-	बिन्दु संख्या-7 के अनुपालन में The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the
	provisions of the Enviromental (Protection), 1986; if applicable. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र
	उपलब्ध कराया जाये । बिन्दु संख्या-8 के अनुपालन में The layout plan of the proposal shall not be changed without prior
8-	बिन्दु संख्या–8 के अनुपलिन में The layout plan of the proposal shan not be changed without prior approval of Central Government. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
	approval of Central Government. स समावस प्रभाष प्रभाष प्रभाष प्रभाष प्रभाष जाय । बिन्दू संख्या–9 के अनुपालन में No labour camp shall be established on the forest land. से सम्बन्धित
9-	बिन्दु संख्या–9 क अनुपलिन में No labour camp shan oc established on the forest land. स सम्बान्धत
-	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
10-	बिन्दु संख्या–10 के अनुपालन में Sufficient firewood, preferable the alternate fuel, shall be provided by
	the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department of the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate frul. से सम्बन्धित वचनबद्धता
i- Res	प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये ।

Com-1/land transfer/ folder-2/609 | P a g e

	11-	बिन्दु संख्या–11 के अनगावन में का
		बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में The boundary of the diverted foret land shall be suitable demarcated on ground at the project cost, As per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये
		सम्बन्धित वचनवदन्ता mum
	2-	सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये । बिन्दु संख्या-12 के अनुपालन में भ
		बिन्दु संख्या–12 के अनुपालन में No. additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the concerned Divisional Forest Officer.
		से सम्बन्धित त्वार्य के Market and the second description of the concerned Divisional Forest Officer
	13-	
		3 (ISAI-13 do Statilizat à m
		the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये।
	14-	
		14 3 राख्यान्नाय के अनुपालन में परा ह
$\vdash$	15	specified in the project proposal. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये । बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में The KMI file of the search le line of the search le l
	15-	14' र तिखान15 के अनुपालन में The KNAL का
		SMC work, the proposed Catchment A
		on the e-Green watch portal with all real reatment area and the WLMP area shall be uploaded
		जाय।
	16-	बिन्दु संख्या-16 के अनुपालन में The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the court orders provision rules regulations and guidelines for the time being in for
		all the court orders provision rules are builded and the State Government shall ensure compliance of
		all the court orders provision rules regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
	17-	बिन्दु संख्या–17 के अनुपालन में The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without price and the formation of the formation
		transferred to any other agencies deportment and proposed to be diverted shall under no circumstances be
		transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
-	18-	बिन्द संख्या–18 के अनुपालन में Violation of any of the
		बिन्दु संख्या–18 के अनुपालन में Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as used to
		42/2017-FC dt 29/01/2018 to the defend arteracial union would be taken as per the MoEF& CC Guideline F.No.11-
	19-	Ary they 19 to statutor H Any other condition that the Ministry and
		Change may stipulate. From time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife, the traded development of forest & wildlife.
		development of forest & wildlife. से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
	20-	
		अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों के वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से
		वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है जो नगर कि पहुंचायग और यदि उक्त व्यक्तियों से
		वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा. से सम्बन्धित जननन्त्र
$\mathbf{F}$	21-	निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाये । बिन्दु संख्या—21 के अनुपालन में उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी
	21-	विन्दु संख्यान्या के अनुपालन ने उपरा पन नूनि प्रसापक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी
		जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे । यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा जगर के जक्त वनभूमि अथवा उसके किसी
		भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भा जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे वन विभाग उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का अपराज किसे प्रस्तावक विभाग के लिए
		जायेगी, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
	22-	जियगा, स सम्बान्धरा पंधनबद्धरा प्रनाशन्म ७२२ ७२२२ व के जाय । बिन्दु संख्या–22 के अनुपालन में वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जे जाउने
		उपलब्ध कराया जाये ।
Ì	23-	उपलब्ध कराया जाय । बिन्दु संख्या—23 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन०पी०वी० की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका मुगतान किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
- 2	Marca Sta	बन्दु संख्या-23 के अनुनारान ने प्रवारण का पर सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये । वृद्धि होती है तो इसका मुगतान किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
	24-	
		बिन्दु सख्या—24 के अनुपालन में मारत सरकार के पत्र राख्या—5—3/2007एफसी (पीटी) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या—J-11013/41/2006-IA –II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हैं तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने
		से पूर्व यह सुनिष्टिचत करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू ह तो (if applicable) कार्य प्रपाय की कीय प्रारम्भ करने
1		से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंन, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग– अलग प्राप्त कर लिया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्राप्त
199		से पर्यावरणीय अनापत्ति/ अनुमादन तथा वन्य जाप पर्ग पृष्ट से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग– अलग प्राप्त कर लिया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये।
35	F	

Com-1/land transfer/ folder-2/610 | P a g e

	ं ते उच्चतम न्यायालय र
25-	बिन्दु संख्या–25 के अनुपालन मेंयदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो उच्चतम न्यायालय र बिन्दु संख्या–25 के अनुपालन मेंयदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराय
-	बिन्दु संख्या—25 के अनुपालन मेंयदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नशनल पाक न राजितरात है, के अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराय
	जाये ।
26-	जाये । बिन्दु संख्या–26 के अनुपालन में समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया
	जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
27-	के में स्वामित्व वाल विभाग राजित के में स्वामित्व वाल विभाग राजित के में
21	बिन्दु संख्या—27 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग का संराक्षत वनगून पर पूर्वस्था रिम् केये उपलब्ध कराया जाये, से के पूर्व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करना होगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराया जाये, से
28-	े जिस में महम ना मंग्रेस / जेवन अधिकारी जिया लखनुरक द्वीरी वीणत प्रकरण से सम्बाधित
20	बिन्दु संख्या—28 के अनुपालन में मुख्य वन संरक्ष्य नाडल आवयगरा, 00,00 राख छे पर्य प्र उपरोक्त शर्ते/प्रतिबन्धों (Terms & Conditions) के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी सत्यापन रिपोर्ट शासन को
	जगनमा काणी जगेगी से सम्बन्धित तचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय ।
29-	चिन्न गंगरा २० के अनुगालन में सम्पति प्रचलित व्यवस्था के अधीन शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०५१०४०) की
2)-	म0-506052 /- (ऊ० पाँच लाख छ॰ इत्तार नो सी तिरपन मात्र) का धनराशि कम्पा निध न पोलान जनरूर पर
	जमा कराना सुनिष्टिचत करें तथा जमा चालान की प्रति छ:-छ: प्रतियों में इस कार्यालय उपलब्ध करावें तथा देयता के
	सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश दिनांक 06.01.2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 19.01.2022 का
	अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रयस जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाये ।
30-	
50-	द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा, से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र
	अपलब्ध कराया जाये ।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक

दिनांकित ।

1– प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को संदर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2- प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को संदर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

## शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फाईल संख्या-5-3/2011 -एफ0सी0(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 के द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की दरों का निर्माण होने के कारण जनपद मथुरा में सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड की 100: पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) अलवर-राजस्थान के द्वारा 765 केवी डी/सी सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु जनपद मथुरा में अपर आगरा नहर मील-49 की दॉयी व बॉयी दोनों पटरियों की 0.5293 हैक्टेयर संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है । प्रभावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की गणना निम्नानुसार है । ६ को के लाईन का पी जिस्ती के स्वाम

(क) प्रभावित वन भूमि	0.5293 हैक्टेयर
(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की धनराशि	506952.954 या 506953.00
0.5293x957780.00	(रू0 पॉच लाख छः हजार नौ सौ तिरेपन मात्र)

(रजनीकांत मित्तल) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग सामाजिक जनकी प्रभाग मथुरा

क्षेत्रीय क्ष कला रेज सा०वा० प्रभाग, मथुरा